न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 08/2015 (76 एल .आर. एक्ट)

उनवान

भवानी पुत्र तुलाराम जाति काछी निवासी पिचूना सब तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर, जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 13.03.2015 प्र. संख्या 75/2013 उनवानी भवानी बनाम सरकार।

उपस्थितिः–

1. श्री दुलीचन्द शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री मोहन सिंह राणा राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक– 08.11.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 13.03.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार उच्चैन ने आराजी खसरा नंबर 1408 रकबा 2 बीघा 06 विस्वा में से रकबा 02 विस्वा, किस्म गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम पिचूना तहसील रूपवास पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने, पैनल्टी राशि आरोपित करने एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया। जिसके विरूद्ध अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष की गई। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा दिनांक 13.03.2015 को अपील में पारित निर्णय के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गोर नहीं किया कि विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ता नहीं है और ना ही पिछले पचासों साल से रास्ते के कार्य में काम आ रही है। भूमि मौके

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर पुराने जमाने से ही अपीलाण्ट के गैत वाडे एवं आबादी के कार्य में आ रही है। अपीलाण्ट के पास इस भूमि खण्ड के अलावा अन्य कोई भूमि गैत वाडे हेतु गॉव में नहीं है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट, अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर के समक्ष विवादित आराजी पर कब्जा छोडने एवं भविष्य में कभी भी कब्जा नहीं करने तथा भविष्य में कब्जा पाये जाने पर सजा भुगतने को तैयार होने का शपथ पत्र देने को तैयार था। किन्तु फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सजा माफ न करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलाण्ट के केवल गैत वाडे एवं ईधन आदि रखा हुआ है, जो अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आती है एवं ना ही अपीलाण्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में ही आता है। अपने विशेष कथन में अपीलाण्ट द्वारा भविष्य में कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा नही करेगा, इस आशय का शपथ पत्र वक्त बहस देने का कथन करते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने एवं सिविल जेल की सजा माफ करने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आराजी पर अतिक्रमी द्वारा छप्पर, चारा व ईधन डालकर अतिक्रमण संवत 2070 में किये जाने पर रिपोर्ट पटवारी हल्का के द्वारा प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया गया था, जो दिनांक 22.09.2012 को बेदखल किया जा चुका है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करना प्रमाणित है। अतः अपीलाण्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है एवं ऐसे पश्चात्वर्ती अतिक्रमी के खिलाफ सिविल जेल एंव शास्ति कायम करना उचित ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जॉच उपरान्त ही निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई कानूनी भूल नही की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलाण्ट का प्रमुखता से कथन यह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर में कब्जा छोडे जाने का शपथ– पत्र प्रस्तुत करने के को तैयार था। बाबजूद तहत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा सिविल जेल की सजा माफ नही की एवं अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। हमने दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलक्टर के समक्ष प्रथम अपील में अतिक्रमण हटाये जाने का कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा भी कथित रूप से अतिक्रमण हटा लेने मात्र से, अपीलाण्ट अप्रार्थी दण्ड के दायित्व को नही टाल सकता है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उच्चैन ने उचित रूप से पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर तीन माह की सिविल जेल आदेश पारित किया एवं प्रथम अपील भी उचित ही खारिज की गई है। इस प्रकार अतिक्रमी का राजकीय सार्वजनिक उपयोग की आराजी पर अतिक्रमण एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी सिद्ध होने के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कारण हम अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज योग्य रहती है।

6. परन्तु वक्त बहस अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपीलाण्ट की ओर से पुनः अतिक्रमण नही करने का परिवचन (UNDERTAKING) देने की तत्परता दर्शाई गई है। चूंकि भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 अन्तर्गत सिविल जेल सजा का उद्देश्य, अतिक्रमी को निरूद्ध कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना ही है, जिसकी पूर्ति अपीलाण्ट की अन्डरटेकिंग से होती है, अतः हम, अपील अल्पांश स्वीकार करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उच्चैन को निर्देशित करना चाहेंगें कि सिविल जेल क्रियान्वयन के क्रम में गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने से पूर्व मौके पर सत्यापन कर लेवें, यदि अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण हटाना पाया जावें एवं अपीलाण्ट भविष्य में अतिक्रमण नही करने का परिवचन दें, तो तीन माह सिविल जेल की सजा स्थगित रखें। अपीलाण्ट द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर सिविल जेल की सजा के क्रियान्वयन के साथ–साथ भू राजस्व अधिनियम की धारा 91(6) अन्तर्गत भी कार्यवाही करें।

7. अतः अपील अपीलांट अल्पांश स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 08.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official